

राजा महेन्द्र प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गुरुकुल नारसन, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

NAAC ACCREDITED



विवरणिका

2021 - 22

महान क्रान्तिकारी एवं स्वतन्त्रता सेनानी

राजा महेन्द्र प्रताप

(दिसम्बर 01, 1886 - अप्रैल 29, 1979)

कृतित्व एवं व्यक्तित्व

भारत में प्रारम्भिक जीवन - दिसम्बर 1, 1886 - दिसम्बर 20, 1914

महान क्रान्तिकारी, स्वतन्त्रता सेनानी एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व राजा महेन्द्र का बचपन का नाम खड़क सिंह अपने नन्हे चक्षु 01.12.1886 में मुरसान नरेश राजा घनश्याम सिंह बहादुर के यहाँ खोले। 7-8 वर्ष की आयु में अपनी पैतृक भूमि छोड़कर वृंदावन के लिए प्रस्थान किया।

प्रारम्भिक शिक्षा अलीगढ़ के गर्वनमेंट स्कूल में हुई और फिर एम.ए.ओ. कॉलेज से XII (एफ.ए.) तक पढ़ाई की। यही संस्था बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुई। यहाँ की शिक्षा से धार्मिक संकीर्णता की भावनाएँ समाप्त हुई।

वैवाहिक जीवन :- सन् 1901 में आपका विवाह जौद नरेश राजा रणवीर सिंह की छोटी बहन बलबीर कौर के साथ सम्पन्न हुआ।

पुत्री, भक्ति (Devotion) का जन्म 1909 में हुआ। पुत्र, (Glory of Love) का जन्म 1913 में हुआ।

उपाधि :- राजा साहब की उपाधि आपको जनता द्वारा दी गई।

सामाजिक गतिविधियाँ एवं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना :-

इस महान आत्मा की शिक्षा संस्थाओं और गरीबों पर विशेष अनुकम्पा रही है। राजा साहब ने वृंदावन में 'प्रेम महाविद्यालय' की स्थापना की और अपनी रियासत का आधा हिस्सा दान में दिया। इसी से प्रेरित होकर चौ० लाल सिंह नारसन कलाँ ने भी 75 बीघा भूमि दान देकर 'प्रेम विद्यालय सभा, गुरुकुल नारसन की स्थापना की और क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों का भी विशेष योगदान रहा। राजा साहब ने डी.ए.वी. कॉलेज, अलीगढ़, कायस्थ पाठशाला, हिन्दू विश्वविद्यालय काशी व बुलन्दशहर जिले की अनेक संस्थाओं को मुक्त हस्त से दान दिया। समानता के प्रेमी राजा महेन्द्र प्रताप छुआछूत के घोर विरोधी थे।

दिसम्बर 20, 1914 - अगस्त 09, 1946 :-

प्रथम विश्व युद्ध (सन् 1914-18) के समय 20 दिसम्बर, 1914 को क्रान्ति के पथ पर आरूढ़ ब्रितानी हुकूमत की दास्ता की बेड़ी से मानवता को मुक्त कराने के लिए विश्व के अनेक देशों श्रीलंका, फ्रांस, जेनेवा, रोम, वेनिस, हंगरी, आस्ट्रिया, बर्लिन, पेरिस, लंदन, अमेरिका, कनाडा, टोकियो, चीन व सिंगापुर का भ्रमण किया।

अप्रैल 10, 1915 को बर्लिन से टर्की होते हुए अफगानिस्तान के लिये प्रस्थान किया। शत्रुता भरी एवं इरान का रेगिस्तान रास्ता, अफगानिस्तान की ऊँची-नीची पहाड़ी रास्तों से होते हुए अक्टूबर 02, 1915 को काबुल पहुँचे। अपने 30वें जन्म दिवस दिसम्बर 01, 1915 को काबुल के ऐतिहासिक बाग-ए-बाबर में भारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। राजा महेन्द्र प्रताप इसके राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के रूप में मौलाना बरक तुल्लाह ने शपथ ग्रहण की।

इन संघर्षमयी स्थितियों से जूझते रहने के दौरान सन् 1931 में आपने जापान को स्थाई रूप से अपना निवास बना लिया था, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें कैद भी कर लिया गया था। बाद में निरपराध होने के कारण छोड़ दिया गया था।

भारत में बाद का जीवन - (अगस्त 09, 1946 - अप्रैल 29, 1979) :

इस प्रकार 31 वर्ष 7 माह के बाद अनेक देशों के भ्रमण के बाद 10 अगस्त, 1946 को राजा साहब एक बार फिर अपनी मातृभूमि भारत में वापसी पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी-मनुबेन गर्मजोशी से स्वागत हेतु मद्रास में उपस्थित थी और आपको गाँधी जी, नेहरु जी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात हेतु वर्धा ले गयी, परन्तु स्वतन्त्रता के लिए कांग्रेस ने भारत का जो स्वरूप स्वीकार किया इससे असंतुष्ट होकर राजा साहब ने कांग्रेस से मुहँ मोड़ लिया था।

इसके बाद स्वतन्त्र सदस्य की हैसियत से द्वितीय सामान्य निर्वाचन 1957 में मथुरा, वृंदावन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था पूरे पाँच साल लोकसभा के सदस्य रहे। 15 अगस्त, 1979 को सरकार ने 30 पैसे का टिकट भी इनके नाम जारी किया।

आपने कष्टपूर्ण जीवन बिताया परन्तु पावन ध्येय नहीं छोड़ा। अपूर्व साहस के साथ विश्व प्रेम, विश्व बन्धुत्व और विश्व संघ की स्थापना का प्रचार किया और मृत्यु पर्यन्त तक त्याग, प्रेम, बलिदान की महान मूर्ति राजपुर रोड, देहरादून में रहते हुए भी राष्ट्रभक्ति कार्यों में समर्पित रहे। राजा साहब की अंत्येष्टि उनकी इच्छानुसार प्रेम वाटिका, प्रेम महाविद्यालय वृंदावन में हुई।

आवश्यक सूचना

फोन : 01332-229221

मो. 9520119325 (प्रभारी, कार्यालय अधीक्षक)

Website : www.rmppgcollege.co.in

E-mail : principalrmppgcollegenarsan@gmail.com

विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका में दिये गये सभी निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सभी विद्यार्थी पहले अपना ऑनलाईन पंजीकरण करायेंगे। पंजीकरण हेतु पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अर्हता संबंधी सभी प्रमाण पत्र/अंक पत्र (समस्त वर्षों की) की सत्यापित छायाप्रति लगायें। पंजीकरण कराने की कक्षावार सूचनाएँ कॉलेज के वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर यथा समय अंकित की जायेंगी।

प्रवेश की सूचना कालेज के वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर यथोचित समय पर अंकित की जायेगी। अलग से अभ्यर्थियों को प्रवेश की सूचना नहीं भेजी जायेगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने प्रवेश संबंधी सभी सूचनाएँ कालेज के वेबसाइट व नोटिस बोर्ड पर अंकित सूचनाओं को देखकर प्राप्त करें।

सभी विद्यार्थी प्रवेश लेते समय अपने सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ एवं अपने फोटो की तीन प्रतियाँ अपने साथ रखें। प्रवेश सूची के अनुसार, प्रवेश हेतु आये अभ्यर्थी प्रवेश आवेदन पत्र भरकर पहले प्रवेशाधिकारी से, उसके बाद अनुशासनाधिकारी (प्रॉक्टर) तथा प्राचार्य से प्रवेश आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करा लें। तत्पश्चात् विवरणिका में अंकित शुल्क, निर्देशानुसार जमा कराकर कॉलेज कार्यालय से परिचय पत्र प्राप्त कर लें और परिचय पत्र को भरकर प्रॉक्टर कार्यालय से उस पर हस्ताक्षर करा लें। कॉलेज प्रांगण में परिचय पत्र को हमेशा अपने साथ रखें।

विद्यार्थी यह नोट कर लें कि प्रत्येक विषय में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल दोनों अलग-अलग कक्षाओं में उसकी 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अभाव में विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा।

महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। यदि कोई छात्र या छात्रा रैगिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक एवं दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।

कालेज परिसर में छात्र/छात्राओं द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र पर संगीत सुनना अथवा कोई दृश्य सामग्री देखना व दिखाना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। यदि कोई छात्र/छात्रा मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो मोबाइल फोन या यंत्र को जब्त करते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आचार संहिता महाविद्यालय स्तर पर भी प्रभावी होगी।

- प्राचार्य

राजा महेन्द्र प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय

गुरुकुल नारसन्न (हरिद्वार)

संक्षिप्त परिचय

सन् 1939 ई० एक संस्कृत पाठशाला के रूप में 'गुरुकुल' की स्थापना के साथ नारसन क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में प्रारम्भिक शिक्षा की शुरुआत हुई। यह गुरुकुल पाठशाला क्रमशः सन् 1946 ई० में मिडिल स्कूल, सन् 1948 ई० में हाईस्कूल और सन् 1951 ई० में इन्टरमीडिएट कॉलेज के रूप में परिवर्तित होती गयी। क्षेत्र में शिक्षा के प्रति बढ़ती रुचि और उच्च शिक्षा की निरन्तर मांग के कारण सन् 1950 ई० में चौ० लाल सिंह (नारसन कला) के प्रयासों एवं मुक्त हस्त से दान देकर श्री हुक्म चन्द्र, बाबू जीवन लाल, चौ० शेर सिंह वर्मा, श्री वीरेन्द्र कुमार वेदालंकार सहित क्षेत्र के अन्य गणमान्य नागरिकों ने "प्रेम विद्यालय सभा" की स्थापना कर डिग्री कॉलेज खोलने की ओर कदम बढ़ाया।

कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण महान स्वाधीनता सेनानी 'राजा महेन्द्र प्रताप' के नाम से कृषि डिग्री कॉलेज की स्थापना कर यहां बी०एस-सी० (कृषि) की कक्षाएँ सन् 1958 ई० में प्रारम्भ की गयी तथा एम०एस-सी० (कृषि) की कक्षाएँ वर्ष 1960 से प्रारम्भ की गयी। कृषि शिक्षा के प्रचार-प्रसार में संलग्न इस संस्था में उपलब्ध सुविधाओं के कारण यहां पी-एच०डी० उपाधि हेतु कृषि शोध कार्य की व्यवस्था भी है।

दीर्घ काल से क्षेत्र की जनता की आकांक्षा थी कि महाविद्यालय में कृषि संकाय के साथ कला तथा वाणिज्य संकाय में भी मान्यता प्राप्त हो। क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए कला संकाय में बी०ए० कक्षा की मान्यता के लिए प्रयास किया गया तथा स्ववित्त पोषित योजनांतर्गत शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात बी०ए० कक्षा जुलाई 2005 से प्रारम्भ हुई। वाणिज्य संकाय में बी.कॉम. (कम्प्यूटराज्ड एकाउंटिंग सहित) विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्ति उपरान्त सत्र 2010-11 से कक्षाएं प्रारम्भ हुई।

कॉलेज ने अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने, अपनी फ़ैकल्टी को अपग्रेड करने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए सतत प्रयास किये हैं जो किसी भी आधुनिक और विकासशील संस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ तक रेग्यूलर स्टडी की बात है तो कॉलेज छात्रों को कृषि विज्ञान, आर्ट्स और कॉमर्स में अण्डरग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करता है।

यह कालेज छात्रों को स्टडी प्रोग्राम, एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में काफी विकल्प पेश करता है और सेमिनार आयोजित करने, सम्मेलन और प्रोजेक्ट्स में उनको इन्वाल्व करता है।

महाविद्यालय NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान") द्वारा प्रत्यायनित (Accredited) है।

कॉलेज का उद्देश्य :

महाविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य छात्र के शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास के लिये समुचित वातावरण प्रदान करना है। यह संस्था धर्म, जाति तथा सम्प्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर, धर्म निरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय जैसे जीवन मूल्यों को प्रश्रय देने पर बल देती है। छात्रों का सर्वांगीण विकास हो इस उद्देश्य से कॉलेज में अन्य संकायों को खोलने के प्रयास जारी हैं।

प्रवेश नियम (Admission Rules)

- (1) स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार अर्ह छात्रों को योग्यता सूची (मेरिट इन्डेक्स) के आधार पर दिया जाता है।
- (2) विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए मान्य परीक्षा में 45% अंक तथा कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए मान्य परीक्षा में 40% अंक आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश अर्हता में 5% अंकों की छूट देय होगी परन्तु उदाहरणार्थ 39.90% अथवा 44.90% अंकों को क्रमशः 40% अथवा 45% नहीं माना जायेगा।
- (3) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुमन्य होगी जो इस प्रकार है :-

अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग 14 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से होरीजेन्टल आरक्षण देय होगा। महिलायें 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक 5 प्रतिशत, दिव्यांग 5 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 2 प्रतिशत।

सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) छात्र/छात्राओं के प्रस्तावित प्रवेश आरक्षण लाभ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार/राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार देय होगा।

उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा। बशर्ते वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हो। उत्तराखण्ड से बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

दिव्यांग अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी में 5 प्रतिशत का आरक्षण देय होगा एवं आयु सीमा में 5 वर्ष का शिथिलीकरण (छूट) अनुमन्य होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु संकाय में स्नातकोत्तर स्तर की सम्पूर्ण सीटों की संख्या की गिनती की जायेगी। तदुपरान्त प्राचार्य यह निर्णय लेंगे कि आरक्षित सीटें किन विभागों में आवंटित होगी। आरक्षित सीटों पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर सीटों को सामान्य श्रेणी से भरा जा सकेगा।

- (4) अभ्यर्थी अपने पंजीकरण आवेदन पत्र/प्रवेश आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित पिछली/अर्ह कक्षा की उत्तीर्ण अंक तालिका अनिवार्य रूप से संलग्न करेगा।
- (5) नये विद्यार्थी को प्रवेश के समय जिस संस्थान में अध्ययन किया है उस संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र एवं स्थानान्तरण/माइग्रेशन प्रमाण-पत्र मूल रूप में जमा करना आवश्यक है। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जिला शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ही मान्य होगी।
- (6) अपूर्ण तथा वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में या निर्धारित समय के बाद जमा किये गये पंजीकरण आवेदन पत्र/प्रवेश आवेदन पत्रों पर प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

- (7) आरक्षण का लाभ पाने वाले छात्रों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- (8) शासकीय या अन्य संस्थाओं में सेवारत अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए अपने सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- (9) पंजीकरण आवेदन पत्र/प्रवेश आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी को स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ यथा स्थान पर चिपकाना आवश्यक है।
- (10) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को बिना कोई कारण दिये प्रवेश न देने / निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (11) छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी। तदुपरान्त वह निरस्त समझी जायेगी।
- (12) उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (13) जिन छात्रों की गतिविधियां नियन्त्रा मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश देने से रोका जा सकता है/निकाला जा सकता है अथवा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (14) छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छः(6) वर्ष, स्नातक कृषि पर आठ(8) वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर चार (4) वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी की रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी, जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा।
- (15) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से (10+2) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह है।
- (16) अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को उसी कक्षा एवं संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस विश्व विद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अथवा ड्रॉपर भूतपूर्व या व्यक्तिगत छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ड्रॉपर से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे साल अध्ययन किया हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हुआ हो।
- (17) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्र को अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर या अन्य वैद्य कारण पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रवजन प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (18) संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात् एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी कक्षा/दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। उदाहरणार्थ यदि किसी छात्र ने एम.ए. समाज शास्त्र से उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला के अन्य किसी विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और न ही किसी अन्य संकाय की समकक्ष कक्षा में प्रवेश ले सकता है।
- (19) प्रवेश की अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
- (20) संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है

- तो विश्व विद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी। शोध छात्रों पर भी यह नियम लागू होगा।
- (21) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जा रहा है। कृषि, कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातक छात्र विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों के अनुसार पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगे।
 - (22) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री, पत्नी, भाई/बहिन) को, यदि वे अर्ह हो तो स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय एक सीट तथा स्नातक स्तर पर सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - (23) स्नातक स्तर पर प्रवेश योग्यता सूची के आधार पर दिया जायेगा। योग्यता सूची इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उत्तराखण्ड शासनादेश/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अंको (अधिभार) जोड़कर अंतिम योग्यता सूची बनाकर प्रवेश दिया जायेगा।
 - (24) स्नातकोत्तर स्तर पर भी प्रवेश योग्यता सूची के आधार पर दिया जायेगा। योग्यता सूची स्नातक/समकक्ष अर्ह परीक्षा के कुल प्राप्तांको एवं प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के सभी वर्षों की लिखित (थ्योरी) के प्राप्तांको के आधार पर सूचकांक की गणना करते हुए उत्तराखण्ड शासनादेश/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अंको (अधिभार) की गणना कर उसे सूचकांक में जोड़कर योग्यता सूची (मेरिट इण्डेक्स) बनाकर प्रवेश दिया जायेगा।
 - (25) पंजीकरण एवं प्रवेश फार्म पर अभ्यर्थी को आधार कार्ड नम्बर का उल्लेख एवं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (26) ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक ग्रेड या सी.जी.पी.ए. में है। मैरिट निर्धारण हेतु प्राप्तांक को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु यदि अंक-पत्र में सूत्र उल्लेखित नहीं है तो सूत्र की सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें। अन्यथा की स्थिति में आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 - (27) महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है। प्रवेश के समय छात्र/छात्रा एवं अभिभावक/माता-पिता द्वारा अलग-अलग इन्टरनेट पर दिये गये निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र प्रस्तुत न करने पर प्रवेश सम्भव नहीं है।
 - (28) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार अभ्यर्थियों के सत्यापित प्रमाण पत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
 - (29) यदि किसी अभ्यर्थी का गैप है तो गैप का शपथ-पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। प्रवेश हेतु गैप अवधि का निर्धारण विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रभावी होगा।
 - (30) प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति/प्राचार्य के समक्ष मूल प्रमाण-पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना होगा ताकि उसके छाया-चित्र (फोटो) एवं प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जा सके।
 - (31) प्रवेश के समय अभ्यर्थी को शुल्क जमा करना होगा। प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की स्वीकृति आने तक सभी प्रवेश अस्थायी होंगे।

कॉलेज ड्रेस :

अनुशासन के दृष्टिगत महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कॉलेज ड्रेस निर्धारित की गयी है।

छात्रों की वेशभूषा : ग्रे पैन्ट एवं पिंक (गुलाबी) शर्ट, ब्लैक शू।

छात्राओं की वेशभूषा : सफेद सलवार, मैरून कुर्ता एवं सफेद चुन्नी तथा ब्लैक शू।

शरद ऋतु में छात्र/छात्राओं के लिए ' ग्रे ' रंग का स्वेटर/जर्सी/काडीगन।

छात्र-छात्राओं को कॉलेज ड्रेस में ही महाविद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

कृषि संकाय (Faculty of Agriculture)

बी.एस-सी. (ऑनर्स) एग्रीकल्चर, चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) पाठ्यक्रम :

प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता :

अभ्यर्थियों ने 10+2 या समकक्ष परीक्षा कृषि संवर्ग/जीव विज्ञान संवर्ग/गणित संवर्ग से न्यूनतम 45% अंक से उत्तीर्ण की हो। प्रवेश 10+2 में प्राप्तांको के आधार पर वरीयता क्रम (मेरिट इन्डेक्स) में होंगे जिसका निर्णय समिति द्वारा किया जायेगा। स्वीकृत सीट : 160

एम.एस-सी. (एजी.) द्विवर्षीय (चार सेमेस्टर) पाठ्यक्रम :

एम.एस-सी. (एजी.) कक्षायेँ निम्न दो विषयों में संचालित की जाती हैं :

1. सस्य विज्ञान (Agronomy)
2. आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन (Genetics & Plant Breeding)

प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता इस विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की बी.एस.-सी. (एजी.) 4 वर्षीय परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 45% अंक होंगे। प्रवेश अभ्यर्थियों की योग्यता सूची (विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार) के आधार पर वरीयता क्रम में होंगे जिसका निर्णय प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा।

एम.एस-सी. एजी. (एग्रोनामी) : 40 सीट

एम.एस-सी. एजी. (जेनेटिक्स एण्ड प्लांट ब्रिडिंग) : 30 सीट

पी-एच.डी. उपाधि :

निम्नांकित विषयों में पी-एच.डी. उपाधि की सुविधा उपलब्ध है -

1. सस्य विज्ञान (Agronomy)
 2. आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन (Genetics & Plant Breeding)
- प्रवेश विश्व विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया जाता है।

कला संकाय (Faculty of Arts)

बी.ए. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम :

अध्ययन की सुविधा निम्न विषयों में उपलब्ध है -

1. हिन्दी
 2. अंग्रेजी
 3. समाजशास्त्र
 4. शिक्षाशास्त्र
 5. राजनीति शास्त्र
 6. इतिहास
 7. अर्थशास्त्र
- अनिवार्य विषय : पर्यावरण अध्ययन निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता :-

अभ्यर्थियों ने 10+2 या समकक्ष परीक्षा किसी भी संवर्ग से न्यूनतम 40% अंक से उत्तीर्ण की हो। प्रवेश 10+2 में प्राप्तांको के आधार पर वरीयता क्रम (मेरिट इन्डेक्स) में होंगे जिसका निर्णय प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक विषय में स्वीकृत सीट : 60

वाणिज्य संकाय (Faculty of Commerce)

बी.कॉम. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम :

प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता :

बी.काम. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा किसी भी संवर्ग से न्यूनतम 40% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो छात्र इण्टरमीडिएट (10+2) वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण नहीं हैं उनको अतिरिक्त क्वालीफाइंग कोर्स उत्तीर्ण करना होगा।

प्रवेश अभ्यर्थियों की योग्यता सूची (विश्व विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार) के आधार पर वरीयता क्रम (मेरिट इन्डेक्स) में होंगे जिसका निर्णय प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा। स्वीकृत सीट : 60

अनिवार्य विषय : पर्यावरण अध्ययन निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

विशेष नोट : उपरोक्त अंकित सीटों की संख्या गत शैक्षणिक सत्र की स्वीकृत सीटें हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित होंगी। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुसार महाविद्यालय की सम्बद्धता राज्य विश्वविद्यालय श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल से प्रक्रिया में है।

पुस्तकालय :

किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक तथा नैतिक विकास के लिये पुस्तकों का योगदान सर्वविदित है। कॉलेज का पुस्तकालय कृषि, कला एवं वाणिज्य स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की हर विषय एवं लेखकों की पुस्तकों से परिपूरित है। यहाँ साहित्य की पुस्तकें भी काफी संख्या में उपलब्ध हैं। पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएँ, जर्नल्स, समाचार-पत्र भी विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिये उपलब्ध रहते हैं। पुस्तकालय सम्बन्धी निम्नलिखित नियमों का पालन करना विद्यार्थी के लिये अनिवार्य है :-

- (1) पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्र को पुस्तकालय कार्ड बनवाना आवश्यक है।
- (2) पुस्तकालय कार्ड प्राप्त करने के लिये प्रवेश प्राप्ति की रसीद तथा परिचय पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
- (3) प्रत्येक छात्र 14 दिन तक पुस्तक अपने पास रख सकता है। तत्पश्चात 1/- रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना होगा।
- (4) पुस्तकालय सन्दर्भ ग्रंथ, प्रश्न-पत्र, पत्रिकाएँ एवं समाचार पत्रों को पुस्तकालय से बाहर ले जाने या घर ले जाने की अनुमति नहीं है।
- (5) पुस्तक खो जाने, फट जाने या विनष्ट हो जाने की स्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष की संस्तुति पर प्राचार्य की अनुमति लेकर पुस्तक की नई प्रति अथवा उसकी वर्तमान कीमत डाक व्यय सहित जमा करनी होगी।
- (6) वापस की गयी पुस्तक उसी दिन वितरित नहीं की जायेगी। यदि पुस्तक वापसी के दिन अवकाश हो तो आगामी दिवस को निर्धारित वापसी का दिवस माना जायेगा।
- (7) परीक्षा प्रवेश-पत्र लेने से पूर्व सभी पुस्तकें वापस कर पुस्तकालयाध्यक्ष से क्लीयरेंस लेना होगा।
- (8) पुस्तकालय सम्बन्धी किसी भी मामले में पुस्तकालयाध्यक्ष तथा प्राचार्य का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

रीडिंग रूम :

अनुशासन के दृष्टिकोण से पुस्तकालय में छात्र एवं छात्राओं के लिये अलग-अलग रीडिंग रूम की व्यवस्था की गई है।

विभागीय पुस्तकालय :

स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक विभाग में स्नातकोत्तर के छात्रों के पठन-पाठन, गुणवत्ता एवं शोध गतिविधियों हेतु विभागीय पुस्तकालय उपलब्ध है।

कैरियर काउंसिलिंग व प्लेसमेंट सेल :

छात्रों के सुदृढ़ एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु महाविद्यालय में यू.जी.सी. अनुदान से इन्टरनेट सुविधाओं से युक्त कैरियर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल स्थापित है। कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु साक्षात्कार आयोजित किये जाते हैं, इस सेल के माध्यम से छात्र एवं छात्राएं प्रतिवर्ष लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रभारी : डॉ. सर्वेन्द्र सिंह

कॉलेज कृषि फार्म :

महाविद्यालय में लगभग 8.0 हेक्टेयर कृषि फार्म है जहाँ पर बी०एस-सी० (कृषि) एवं एम०एस-सी० (कृषि) के छात्रों के लिए क्रमशः व्यवहारिक फसल उत्पादन (पी०सी०पी०) प्रक्षेत्र एवं प्रयोगात्मक कार्य तथा शोध कार्य एवं किसानों के लाभार्थ प्रदर्शन प्रक्षेत्र (Demonstration) के रूप में गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

प्रयोगशाला :

महाविद्यालय में प्रयोगात्मक कार्य के लिये सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित सभी विषयों की प्रयोगशालाएँ हैं। जहाँ पर विद्यार्थियों को आवश्यक प्रयोगात्मक कार्य करने की सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त है। प्रयोग करते समय छात्रों को उपकरणों तथा अन्य सामान का उपयोग सावधानी से करना चाहिये। समयानुसार प्रयोगशाला सहायक तथा तत्सम्बन्धी प्राध्यापक से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लापरवाही से किये गये कार्य या प्राध्यापक की अनुमति के बिना प्रयोगशाला में प्रवेश दण्डनीय होगा। प्रयोगशालाओं में प्रयोगात्मक कार्यों के लिये प्रत्येक छात्र को गैस लैम्प की सुविधा उपलब्ध है। प्रयोगशाला उपकरणों की हानि के लिये उत्तरदायी छात्रों से उपकरण की धनराशि वसूल की जायेगी।

कम्प्यूटर लैब :

वर्तमान में कम्प्यूटर आधारित अध्ययन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है एवं जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता महसूस की जा रही है। इस दृष्टिकोण से 'ई-लर्निंग' कान्सेप्ट के तहत महाविद्यालय में बी.पी. एन. ब्रॉड बैंड आई.सी.टी. कनेक्शन सहित सुसज्जित कम्प्यूटर शिक्षा प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।

समयानुसार कम्प्यूटर लैब सहायक तथा तत्सम्बन्धी प्राध्यापक से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर छात्र/छात्राएं प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकते हैं। लापरवाही से किये गये कार्य तथा प्राध्यापक की अनुमति के बिना प्रयोगशाला में प्रवेश दण्डनीय है एवं उपकरणों की हानि के लिए उत्तरदायी छात्रों से उपकरण की धनराशि वसूल की जायेगी।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०):

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई कार्यरत है जिसमें 100 छात्रों को (केवल स्नातक स्तर) पंजीकृत किया जाता है। पंजीकृत 100 छात्रों में से ही सेवा योजना द्वारा निर्धारित कार्य घण्टों/दिवस के आधार पर 50 चयनित छात्रों का किसी ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष में एक बार विशेष शिविर लगाया जाता है। सेवा योजना का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीयता का विकास करना है। इसके अन्तर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, चिकित्सा, जन-कल्याण, स्वास्थ्य, सफाई, टीकाकरण प्रौढ़ शिक्षा आदि के बारे में सामाजिक चेतना जागृत करना और स्वयं सक्रिय होकर जन मानस को उत्प्रेरित करना है। इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत छात्र को एक वर्ष में कम से कम 120 घण्टे तथा दो वर्ष में 240 घण्टे का कार्य करना अनिवार्य है। कार्य और विशेष शिविरों की उपस्थिति एवं 'बी' तथा 'सी' प्रमाण-पत्रों के आधार पर छात्रों को प्रवेश व सेवा आदि में निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ मिलता है।

कार्यक्रम अधिकारी : डॉ. सुनील कुमार

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०):

महाविद्यालय में सीनियर डिविजन आर्मी विंग की एक प्लाटून स्वीकृत है जिसमें दो वर्ष की ट्रेनिंग और एक शिविर के पश्चात् 'बी' प्रमाण-पत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मिलती है। इसी प्रकार तीन वर्ष की ट्रेनिंग और दो शिविरों को करने के पश्चात् 'सी' प्रमाण-पत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। एन०सी०सी० में पंजीकृत होने के इच्छुक छात्रों के लिये सप्ताह में होने वाली अनिवार्य परेड में 80 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी है। जो एन०सी०सी० कैडेट परेड में उपस्थित नहीं रहेंगे उनका पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा। 'बी' व 'सी' प्रमाण-पत्रों का लाभ प्रवेश व सेवा आदि में निर्धारित मानकों के अनुसार मिलता है।

ए.एन.ओ. : श्री मुकेश कुमार

खेल कूद समिति :

छात्रों के शारीरिक विकास के लिये खेल-कूद आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कॉलेज में खेल-कूद संचालित करने के लिये एक समिति है जो खेल-कूद सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरा करती है। हर प्रकार के खेलों का अभ्यास व संचालन आयोजन समिति के माध्यम से वर्ष भर होता है। कुशल खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र तथा पारितोषिक दिये जाते हैं। महाविद्यालय के छात्र विभिन्न खेलों में राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलों में लगातार चयनित हुए हैं।

प्रभारी : डॉ. एस. के. धामा

सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति :

छात्रों के नैतिक तथा बौद्धिक विकास के लिये वाद-विवाद, निबन्ध प्रतियोगिता, नाटक, कविता तथा काव्य पाठ आदि के समान अवसर छात्रों को प्रदान किये जाते हैं। समिति, छात्रों में छिपी प्रतिभाओं को उभारने के लिये कृत संकल्प रहती है। प्रतिभा प्रदर्शन एवं छात्रों के बहुमुखी विकास के लिये छात्रों को यथा

सम्भव सहायता तथा मार्ग-निर्देशन प्रदान किया जाता है। इस महाविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय स्तर पर कई पदक प्राप्त कर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है।

प्रभारी : डॉ. सर्वेन्द्र सिंह

छात्र कल्याण समिति :

छात्रों की समस्याओं और उनके समाधान के लिये छात्रों से सम्बन्धित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 'छात्र कल्याण समिति' कार्यरत है। इससे छात्र रोजगार, जिज्ञासा, आर्थिक सहायता व अन्य आवश्यक मार्ग-निर्देशन प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं।

प्रभारी : डॉ. एस.जी. शुक्ल

शैक्षिक समिति :

महाविद्यालय के शैक्षिक वातावरण को उत्तरोत्तर गतिशील बनाने, शैक्षिक व्याख्यानों, विचार गोष्ठियों तथा शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु शैक्षिक समिति वर्ष भर प्रयासरत रहती है। शिक्षा तकनीकी में हो रहे नवीनतम अन्वेषणों की जानकारी छात्रों तक पहुँचाना, उनका मार्गदर्शन करना समिति का प्रमुख कार्य है।

एन्टी रैगिंग सेल एवं एन्टी रैगिंग स्क्वाड :

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुकूल महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग की गतिविधियों पर निगरानी एवं रोक लगाने हेतु एन्टी रैगिंग सेल एवं एन्टी रैगिंग स्क्वाड का गठन किया गया है। प्रवेश के समय छात्र/छात्रा एवं अभिभावक/माता-पिता द्वारा इन्टरनेट पर दिये गये निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यू.जी.सी. द्वारा जारी नेशनवाइड टोल फ्री एन्टी रैगिंग हेल्पलाइन नं. : 1800-180-5522

प्रभारी एन्टी रैगिंग स्क्वाड : डॉ. जोगेन्द्र कुमार

अनुशासन-समिति :

महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने, छात्रों को आवश्यक दिशा निर्देश देने, अभिभावकों/संरक्षकों के साथ आवश्यक ताल-मेल की दृष्टि से अनुशासन-समिति सामान्य अनुशासनात्मक गतिविधियों का संचालन करती है। समस्त छात्रों के परिचय-पत्र प्रभारी, अनुशासन समिति के हस्ताक्षर युक्त होने चाहिये तथा छात्र परिचय-पत्र तैयार कर प्रॉक्टोरियल बोर्ड से उसे पूरा कराकर हमेशा अपने साथ रखें।

चीफ प्राक्टर : डॉ. एस.जी. शुक्ल

महिला उत्पीड़न निवारण समिति :

महाविद्यालय में प्रत्येक श्रेणी में अर्थात् छात्राओं के रूप में, शिक्षिकाओं के रूप में तथा कर्मचारी के रूप में महिलायें कार्यरत हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में स्वस्थ परिवेश के निर्माण हेतु तथा महिला उत्पीड़न को रोकने हेतु महिला उत्पीड़न निवारण समिति है। जिसका प्रयत्न ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी व छात्र-छात्रा पूर्णतः मानसिक तनाव से मुक्त होकर अपना कार्य कर सकें। महाविद्यालय परिसर में यदि किसी को भी उत्पीड़न महसूस हो तो वह इस समिति को सूचित कर सकता/सकती है।

प्रभारी : डॉ. (श्रीमती) ललेश कुमारी

इन्टरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (आई.क्यू.ए.सी.) :

गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए मार्गदर्शन, सुझाव, नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी के उद्देश्य से इस सेल का गठन किया गया है।

प्रभारी : डॉ. एस.जी. शुक्ल

कोचिंग सेन्टर : छात्र-छात्राओं के अभिरूचि के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए यू.जी.सी. अनुदान से इन्टरनेट सुविधाओं से युक्त कोचिंग सेन्टर स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त छात्र-छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री एवं पुस्तकों की व्यवस्था भी कोचिंग सेन्टर में उपलब्ध है।

प्रभारी : डॉ. जोगेन्द्र कुमार

दूरस्थ शिक्षा अवसर :

समानान्तर अध्ययन द्वारा एक समय में एक से अधिक शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त करने की उपयोगिता को स्वीकारते हुए महाविद्यालय ने अपने परिसर में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करवा रखा है। आज यह अध्ययन केन्द्र छात्रों को अपने मुख्य पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा पद्धति से अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताएं जैसे - बी.बी.ए, एम.बी.ए, डिप्लोमा इन हार्टिकल्चर आदि में योग्यताएं प्राप्त करने का अवसर देता है। इस अध्ययन केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी केन्द्र समन्वयक से प्राप्त की जा सकती है।

प्रभारी : डॉ. सर्वेन्द्र सिंह

छात्रवृत्तियाँ :

महाविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के मूल निवासी छात्रों को निम्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाता है :

क्र. सं.	छात्रवृत्ति का प्रकार	विभाग जिसके द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।
1.	अनुसूचित जाति के छात्रों को	समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
2.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को	समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
3.	पिछड़ी जाति के छात्रों को	समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
4.	अल्प संख्यक छात्रों को	समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
5.	विकलांग छात्रों को	समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
6.	मेरिट छात्रवृत्ति (केवल कृषि संकाय छात्रों के लिए)	मंडी परिषद (उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड) उत्तराखण्ड

समय-समय पर शासनादेशों में प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही उक्त छात्रवृत्तियों का वितरण किया जाता है। इसके लिये विद्यार्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र पर आधार कार्ड एवं वांछित प्रमाण-पत्रों सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी पड़ती हैं। छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर अंकित किया जाता है। लाभान्वित होने वाले छात्रों से अपेक्षा है कि वे इन निर्देशों की जानकारी रखें।

महाविद्यालय परिसर में निम्नलिखित सुविधायें भी उपलब्ध हैं :

शुल्क सम्बन्धी विवरण वर्ष 2021-22 (कृषि संकाय)

(शुल्क ₹ में)

शुल्क का विवरण	बी.एस-सी. (कृषि)								एम.एस-सी. (कृषि)			
	प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर	चतुर्थ सेमेस्टर	पंचम सेमेस्टर	षष्ठम सेमेस्टर	सप्तम सेमेस्टर	अष्टम सेमेस्टर	प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर	चतुर्थ सेमेस्टर
शिक्षण			132/-	--	132/-	--	132/-	--			180/-	--
प्रवेश	उत्तराखण्ड शासन व विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क प्रवेश के समय देय होगा।	उत्तराखण्ड शासन व विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क प्रवेश के समय देय होगा।	10/-	10/-	10/-	10/-	10/-	10/-	उत्तराखण्ड शासन व विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क प्रवेश के समय देय होगा।	उत्तराखण्ड शासन व विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क प्रवेश के समय देय होगा।	10/-	10/-
विज्ञान			630/-	720/-	720/-	630/-	540/-	--			540/-	540/-
मंहगाई			144/-	--	144/-	--	144/-	--			144/-	--
पुस्तकालय			36/-	--	36/-	--	36/-	--			36/-	--
ग्रीष्म एवं शीतकालीन			18/-	--	18/-	--	18/-	--			18/-	--
क्रीड़ा (30/- प्रतिमाह)			360/-	--	360/-	--	360/-	--			360/-	--
वाचनालय			12/-	--	12/-	--	12/-	--			18/-	--
विकास			100/-	--	100/-	--	100/-	--			100/-	--
छात्र कल्याण			20/-	--	20/-	--	20/-	--			20/-	--
निर्धन छात्र सहायता			10/-	--	10/-	--	10/-	--			10/-	--
पर्यावरणीय अध्ययन			--	--	--	150/-	--	--			--	--
पुस्तकालय प्रतिभूति			--	--	--	--	--	--			--	--
प्रयोगशाला प्रतिभूति			--	--	--	--	--	--			--	--
परिचय पत्र			15/-	--	15/-	--	15/-	--			15/-	--
सांस्कृतिक क्रियाकलाप			30/-	--	30/-	--	30/-	--			30/-	--
योग			1517/-	730/-	1607	790/-	1427/-	10/-			1481/-	550/-

नोट : 1. उपरोक्त शुल्क का विवरण शासनादेश के अनुसार दिया गया है। शासन/विश्वविद्यालय द्वारा यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो छात्रों से परिवर्तित शुल्क लिया जायेगा।

2. वि.वि. से सम्बन्धित सभी शुल्क (नामांकन/पंजीकरण/परीक्षा/डिग्री शुल्क जो लागू होगा) परीक्षा फार्म भरते समय छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

अन्य शुल्क :- सभी संकाय के लिए

1. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) शुल्क - ₹ 20/-
2. डुप्लीकेट शुल्क रसीद - ₹ 10/-
3. चरित्र प्रमाण-पत्र शुल्क - ₹ 15/-

शुल्क सम्बन्धी विवरण वर्ष 2021-22 (कला संकाय) (शुल्क ₹ में)

शुल्क का विवरण	बी.ए. प्रथम वर्ष	बी.ए. तृतीय सेमेस्टर	बी.ए. चतुर्थ सेमेस्टर	बी.ए. पंचम सेमेस्टर	बी.ए. षष्ठम् सेमेस्टर
शिक्षण शुल्क		3000/-	3000/-	3000/-	3000/-
प्रवेश शुल्क		10/-	10/-	10/-	10/-
पुस्तकालय शुल्क		136/-	--	136/-	--
महंगाई शुल्क		144/-	--	144/-	--
विकास शुल्क		300/-	--	300/-	--
पुस्तकालय प्रतिभूति		--	--	--	--
ग्रीष्म एवं शीतकालीन		18/-	--	18/-	--
छात्र कल्याण		20/-	--	20/-	--
निर्धन छात्र सहायता		10/-	--	10/-	--
वाचनालय शुल्क		12/-	--	12/-	--
पर्यावरणीय अध्ययन		--	--	--	--
क्रीड़ा शुल्क		360/-	--	360/-	--
परिचय पत्र शुल्क		15/-	--	15/-	--
सांस्कृतिक क्रियाकलाप		30/-	--	30/-	--
योग		4055/-	3010/-	4055/-	3010/-

शुल्क सम्बन्धी विवरण 2021-22 (वाणिज्य संकाय) (शुल्क ₹ में)

शुल्क का विवरण	बी.कॉम. प्रथम वर्ष	बी.कॉम. तृतीय सेमेस्टर	बी.कॉम. चतुर्थ सेमेस्टर	बी.कॉम. पंचम सेमेस्टर	बी.कॉम. षष्ठम् सेमेस्टर
शिक्षण शुल्क		3000/-	3000/-	3000/-	3000/-
कम्प्यूटर शिक्षण शुल्क		1000/-	1000/-	1000/-	1000/-
प्रवेश शुल्क		10/-	10/-	10/-	10/-
पुस्तकालय शुल्क		136/-	--	136/-	--
महंगाई शुल्क		144/-	--	144/-	--
विकास शुल्क		300/-	--	300/-	--
पुस्तकालय प्रतिभूति		--	--	--	--
ग्रीष्म एवं शीतकालीन		18/-	--	18/-	--
छात्र कल्याण		20/-	--	20/-	--
निर्धन छात्र सहायता		10/-	--	10/-	--
वाचनालय शुल्क		12/-	--	12/-	--
पर्यावरणीय अध्ययन		--	--	--	--
क्रीड़ा शुल्क		360/-	--	360/-	--
परिचय पत्र शुल्क		15/-	--	15/-	--
सांस्कृतिक क्रियाकलाप		30/-	--	30/-	--
योग		5055/-	4010/-	5055/-	4010/-

नोट : 1. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो छात्रों से परिवर्तित शुल्क लिया जायेगा।

2. वि.वि. से सम्बन्धित सभी शुल्क (नामांकन/पंजीकरण/परीक्षा/डिग्री शुल्क जो लागू होगा) परीक्षा फार्म भरते समय छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

पाठ्यक्रम : कृषि संकाय
B.Sc. (Hons.) Agriculture
CBCS : Course Curriculum

SEMESTER - I

SEMESTER - II

C.B.C.S. COURSE - B.Sc. (Hons.) Agriculture

SEMESTER-III			
S. No.	Title of Course / Papers	Credits (Theory and Practical)	Course Codes
1.	Crop Production Technology - I (Kharif/crops)	2 (1+1)	AG-301
2.	Practical Crop Production -I (Kharif/crops)	2 (0+2)	AG-302
3.	Fundamentals of Plant Breeding	3 (2+1)	AG-303
4.	Agricultural Microbiology	2 (1+1)	AG-304
5.	Agricultural Finance and Co-Operation	3 (2+1)	AG-305
6.	Farm Machinery and Power	2 (1+1)	AG-306
7.	Principles of Integrated Disease Management	3 (2+1)	AG-307
8.	Environmental Studies & Disaster Management	3 (2+1)	AG-308
9.	Statistical Methods	2 (1+1)	AG-309
10.	Dairy Science	3 (2+1)	AG-311
11.	Fundamentals of Entomology-II	2 (1+1)	AG-312
TOTAL		27 (15+12)	

SEMESTER-IV			
S. No.	Title of Course / Papers	Credits (Theory and Practical)	Course Codes
1.	Crop Production Technology - II (Rabi crops)	2 (1+1)	AG-401
2.	Practical Crop Production -II (Rabi crops)	2 (0+2)	AG-402
3.	Principles of Seed Technology	3 (2+1)	AG-403
4.	Problematic soils and their Management	2 (1+1)	AG-404
5.	Renewable Energy and Green Technology	2 (1+1)	AG-406
6.	Production Technology for Ornamental Crops, MAP and Landscaping	2 (1+1)	AG-407
7.	Entrepreneurship Development and Business Communication	2 (1+1)	AG-408
8.	Introductory Agro-meteorology & Climate Change	2 (1+1)	AG-409
9.	Agri-Informatics	2 (1+1)	AG-410
10.	Poultry Production & Management	3 (2+1)	AG-411
TOTAL			

B.Sc. (Ag.) Semester System

SEMESTER-V						
S. No.	Course Title	Credit Hrs.	Theory		Practical	Total
			Ex.	Int.		
(i)	Poultry Management	2+1	35	15	25	75
(ii)	Mushroom Cultivation	1+1	35	15	25	75
(iii)	Elementary Crop Physiology	2+1	35	15	25	75
(iv)	Farm Machinery and Power	2+1	35	15	25	75
(v)	Farm Mgt. and Natural Resource Economics	2+1	35	15	25	75
(vi)	Fundamentals of Extension Education and Rural Development	2+1	35	15	25	75
(vii)	Post Harvest Mgt. & Processing of Fruits and Vegetables	2+1	35	15	25	75
(viii)	Practical Crops Production-I	0+2	0	0	75	75
	Total	13+9=22	245	105	250	600

SEMESTER-VI						
S. No.	Course Title	Credit Hrs.	Theory		Practical	Total
			Ex.	Int.		
(i)	Farming System and Sustainable Agriculture	2+1	35	15	25	75
(ii)	Conservation and Management of Soil and Water Resources	2+1	35	15	25	75
(iii)	Ornamental Horticulture	2+1	35	15	25	75
(iv)	Environmental Science	2+1	35	15	25	75
(v)	Silviculture & Agro Forestry	2+1	35	15	25	75
(vi)	Seed Production and Processing Technology	2+1	35	15	25	75
(vii)	Practical Crops Production II	0+2	0	0	75	75
	Total	12+8=20	210	90	225	525

SEMESTER-VII						
S. No.	Course Title	Credit Hrs.	Theory		Practical	Total
			Ex.	Int.		
(i)	General Economics	2+0	35	15	-	50
(ii)	Breeding and Improvement of Farm Animals	2+1	35	15	25	75
(iii)	Principles of Animal Nutrition	2+1	35	15	25	75
(iv)	Element of Food Technology	2+1	35	15	25	75
(v)	Human Food and Nutrition	2+1	35	15	25	75
(vi)	Soil Taxonomy, Survey and remote Sensing	2+1	35	15	25	75
(vii)	Production Technology of Medicinal and Aromatic Plants	2+1	35	15	25	75
	Total	14+6=20	245	105	150	500

SEMESTER-VIII						
	Course Title	Credit Hrs.	Theory		Practical	Total
			Ex.	Int.		
	Rural Agricultural Work Experience	0+20	0	0	525	525
	Total	0+20=20	0	0	525	525

Grand Total Marks for Semester System

Semester	Theory		Practical	Total
	Ext.	Int.		
I	245	105	175	525
II	280	120	200	600
III	245	105	175	525
IV	280	120	200	600
V	245	105	250	600
VI	210	90	225	525
VII	245	105	150	500
VIII	0	0	525	525
Total	1750	750	1900	4400

Grand Total Credits

Theory : 10+14+15+14+13+12+14+0 = 92
 Practical : 7+8+7+8+9+8+6+20 = 73
Total = 165

Special Note :

It is mandatory for each student of B.Sc. (Ag.) to opt NSS or NCC or Sports during course programme preferably in first year, and must obtain a certificate in respective activities from competent authority of College/Institute.

College/Institute will essentially furnish a list of the students to the university ensuring their satisfactory participation and issue of certificates, so that it may be mentioned in their marksheets.

Course Curriculum for M.Sc. Ag. (Agronomy)

SEMESTER - I

SEMESTER - II

CBCS : Course Curriculum for M.Sc. Ag. (Agronomy)

SEMESTER-III					
Course Structure CODE	Course Title	Total Marks	Sessional Marks I+II	External Marks	Credits
SOA/AGRON/C-513	Principles and Practices of Water Management	100	40	60	4
SOA/AGRON/C-514	Agronomy of Commercial Crops	100	40	60	3
Students can choose three elective paper out of the following 515, 516, 517, 518 electives.					
SOA/AGRON/E-515	Dryland Farming	100	40	60	2
SOA/AGRON/E-516	Management of Problem Soils	100	40	60	2
SOA/AGRON/E-517	Farming Systems	100	40	60	2
SOA/AGRON/E-518	Post-Harvest Technology of Agricultural Crops	100	40	60	2
SOA/AGRON/C&E-519	Lab Course based on the above papers	100	40	60	5
	TOTAL	600	240	360	18
*SOA/AGRON/SS-01	Self Study courses to be decided by concern department/college and to be evaluated by themselves. It is only pass/qualifying course	100	40	60	2

SEMESTER-IV					
Course Structure CODE	Course Title	Total Marks	Sessional Marks I+II	External Marks	Credits
SOA/AGRON/C-520	Thesis	100	40	60	8
	OR				
SOA/AGRON/C-521	Project based on Farmer field Survey	100	40	60	8
SOA/AGRON/C-522	Seminar	100	40	60	1
Students can choose three elective papers out of the following 523, 524, 525, 526 electives.					
SOA/AGRON/E-523	Seed Production Technology	100	40	60	2
SOA/AGRON/E-524	Soil Conservation and watershed Management	100	40	60	2
SOA/AGRON/E-525	Agronomy of Fodder and Pasture crops	100	40	60	2
SOA/AGRON/E-526	Environmental Studies and Disaster Management	100	40	60	2
SOA/AGRON/E-527	Lab Course based on the above papers	100	40	60	3
	TOTAL	500	200	300	18
	GRAND TOTAL	2300	920	1380	72

Course Curriculum for M.Sc. Ag. (Genetics & Plant Breeding)

SEMESTER - I

SEMESTER - II

CBCS : Course Curriculum for M.Sc. Ag. (Genetics & Plant Breeding)

SEMESTER-III					
Course Structure CODE	Course Title	Total Marks	Sessional Marks I+II	External Marks	Credits
SOA/GPB/C-513	Biotechnology for crop Improvement	100	40	60	4
SOA/GPB/C-514	Population and Biometrical Genetics	100	40	60	3
In addition to SOA/GPB/C&E-519, Students may choose any three out of the following four elective courses.					
SOA/GPB/E-515	Breeding Field Crop (Kharif)	100	40	60	2
SOA/GPB/E-516	Plant Genetic resources and their Utilization	100	40	60	2
SOA/GPB/E-517	Crop Physiology-II	100	40	60	2
SOA/GPB/E-518	Maintenance breeding, concept of Varsity Release & Seed Production	100	40	60	2
*SOA/GPB/C&E-519	Laboratory Course-III	100	40	60	5
	TOTAL	600	240	360	18
**SOA/GPB/SS01	Self Study courses to be decided by concerned department/ college & to be evaluated by themselves. It is only a qualifying course	100	40	60	3

SEMESTER-IV					
Course Structure CODE	Course Title	Total Marks	Sessional Marks I+II	External Marks	Credits
SOA/GPB/C-520	Thesis	100	40	60	8
OR	Project				
SOA/GPB/C-521	Based on seed Production of field Crops/Vegetable Crops	100	40	60	8
SOA/GPB/C-522	Seminar	100	40	60	1
In addition to SOA/GPB/E-528, Students may choose any three out of the following four elective courses.					
SOA/GPB/E-523	Breeding of Vegetable Crops	100	40	60	2
SOA/GPB/E-524	Seed Production Technology of Vegetable Crops	100	40	60	2
SOA/GPB/E-525	Stress Physiology of Field Crops	100	40	60	2
SOA/GPB/E-526	Germ Plasm collection, Exchange and Quarantine	100	40	60	2
SOA/GPB/E-527	Laboratory Course - IV	100	40	60	3
	TOTAL	600	240	360	18
	Grand Total of all Semesters	2400	960	1440	72

पाठ्यक्रम - कला संकाय
PROPOSED SCHEME FOR B.A. PROGRAMME

B.A. I Year

पाठ्यक्रम - कला संकाय CBCS
PROPOSED SCHEME FOR CHOICE BASED CREDIT SYSTEM IN
B.A. Programme

Semester	CORE COURSE (12)	Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) (2)	Skill Enhancement Course (SEC) (2)	Discipline Specific Elective (SEC) (2)	Generic Elective GE (2)
III	English/MIL-2		SEC-1		
	DSC-1 C				
	DSC-2 C				
IV	MIL/English-2		SEC-2		
	DSC-1 D				
	DSC-2 D				
V			SEC-3	DSE-1 A	GE-1
				DSE-2 A	
VI			SEC-4	DSE-1 B	GE-2
				DSE-B	

पाठ्यक्रम - वाणिज्य संकाय
B.Com. Programme

B.Com. I Year

पाठ्यक्रम - वाणिज्य संकाय CBCS
PROPOSED SCHEME FOR CHOICE BASED CREDIT SYSTEM IN
B.Com. Programme

S.No.	Course Code	Course Name	Course Structure	Periods			Credits
				L	T	P	
SEMESTER-III							
1	BC-301	Company Law	Core Course C-5	5	1	0	6
2	BC-302	Income Tax Law and Practice	Core Course C-6	4	1	1	6
3	BC-303	Hindi/Modern Indian Language	Language-3	5	1	0	6
4	BC-304	Computer Applications in Business	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-1 (a)	2	0	0	2
		Practical	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-1 (b)	0	0	2	2
SEMESTER-IV							
1	BC-401	Business Communication	Language-4	5	1	0	6
2	BC-402	Corporate Accounting	Core Course C-7	5	1	0	6
3	BC-403	Cost Accounting	Core Course C-8	5	1	0	6
4	BC-404	E-Commerce	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-2 (a)	3	0	0	3
		Practical	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-2 (b)	0	0	1	1
SEMESTER-V							
1	BC-501	Any one of the following	Discipline-Specific Elective (DSE)-1	5	1	0	6
		a. Human Resources Management					
		b. Principles of Marketing					
		c. (i) Computerised Accounting System		4	0	0	4
		c. (ii) Practical		0	0	2	2
2	BC-502	Any one of the following	Discipline-Specific Elective (DSE)-2	5	1	0	6
		a. Fundamentals of Financial Management					
		b. Indirect Tax Law					
3	BC-503	Principles of Micro Economics	Generic Elective (GE)-1	5	1	0	6
4	BC-504	Entrepreneurship	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-3	4	0	0	4
SEMESTER-VI							
1	BC-601	Any one of the following	Discipline-Specific Elective (DSE)-3	5	1	0	6
		a. Corporate Tax Planning					
		b. Banking and Insurance					
		c. Fundamentals of Investment					
		d. Auditing and Corporate Governance					
2	BC-602	Any one of the following	Discipline-Specific Elective (DSE)-4	5	1	0	6
		a. International Business					
		b. Office Management and Secretarial Practice					
		c. Management Accounting					
		d. Consumer Protection					
3	BC-603	Indian Economy	Generic Elective (GE)-2	5	1	0	6
4	BC-604	Seminar and Comprehensive Viva-Voce	Skill-Enhancement Elective Course (SEC)-4	0	0	0	4

महाविद्यालय शिक्षक परिवार

- **डॉ. बी.एल. कुशवाहा प्राचार्य** 9410371646
- **सस्य विज्ञान विभाग (Dept. of Agronomy)**
 - डॉ. विक्रान्त असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 9412100949
 - डॉ. संदीप कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर 9058687820
 - श्री मुकेश कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर 7895407600
- **आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग (Dept. of Genetics & Plant Breeding)**
 - डॉ. वी.पी. सिंह एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 9411755433
 - डॉ. शिवकुमार असिस्टेंट प्रोफेसर 9719001366
 - डॉ. एस.के. धामा असिस्टेंट प्रोफेसर 9456262492
 - श्री जनेश्वर प्रसाद असिस्टेंट प्रोफेसर 9917386437
- **पशु पालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग (Dept. of A.H. & Dairying)**
 - डॉ. एस.जी. शुक्ल एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 9997366964
- **कृषि कीट विज्ञान विभाग (Dept. of Agricultural Entomology)**
 - डॉ. सर्वेन्द्र सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 9412465331
- **कृषि अर्थशास्त्र विभाग (Dept. of Agricultural Economics)**
 - डॉ. सुनील कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 9358634376
- **पादप रोग विज्ञान विभाग (Dept. of Plant Pathology)**
 - डॉ. (श्रीमती) ललेश कुमारी असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 9997391228
- **कृषि रसायन विज्ञान विभाग (Dept. of Agricultural Chemistry)**
 - डॉ. जोगेन्द्र कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 9719102670
- **उद्यान विज्ञान विभाग (Dept. of Horticulture)**
- **कृषि अभियन्त्रण विभाग (Dept. of Agricultural Engineering)**

महाविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी परिवार

श्री धीरज पाल	-	प्रभारी , कार्यालय अधीक्षक/कनिष्ठसहायक (पु.)
श्री प्रदीप कुमार	-	कनिष्ठसहायक
श्री पदम सिंह	-	प्रयोगशाला सहायक
श्री मनोज कुमार	-	प्रयोगशाला सहायक

चतुर्थ श्रेणी कार्मिक

श्री राकेश कुमार	-	दफ्तरी
श्री कमलवीर	-	प्रयोगशाला परिचर
श्री संदीप कुमार	-	प्रयोगशाला परिचर
श्री सचिन कुमार	-	प्रयोगशाला परिचर
श्री ललित कुमार	-	प्रयोगशाला परिचर
श्री दीपक कुमार	-	प्रयोगशाला परिचर
श्री रविन्द्र कुमार	-	परिचर
श्री अनिल कुमार	-	सफाईकर्मी
श्री मुकेश कुमार	-	प्रयोगशाला परिचर
श्री मनोज कुमार	-	प्रयोगशाला परिचर
श्री योगेश कुमार	-	प्रयोगशाला परिचर
श्री दीपसिंह	-	प्रयोगशाला परिचर
श्री बोबी कुमार	-	चौकीदार
श्री नरेन्द्र कुमार	-	प्रयोगशाला परिचर
श्री सतीश कुमार	-	प्रयोगशाला परिचर
श्री सावन कुमार	-	चौकीदार
श्री अरविन्द कुमार	-	परिचर